–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल के खसरा नम्बर 17 रकबा 1.7806 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता ग्राम खराड़ी के खसरा संख्या 18 रकबा 1.4569 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 20 रकबा 2.0963 हैक्टेयर में से तहसीलदार जैतारण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल व पटवारी पटवार हल्का डिगरना द्वारा प्रस्तुत फर्द मौके रिपार्ट में वर्णित व दर्शित विकल्प ए 172 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा जिसका कुल रकबा 1032 वर्गमीटर बनता है भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका कुल रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान अद्यतन डी.एल.सी दर(प्रभावी दिनांक 01.12.2024) की दुगुनी राशि निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीया से प्राप्त कर खसरा संख्या 18 व 20 के खातेदारान् के मध्य प्रभावित रकबा एवं हिस्सा के अनुसार भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण उक्त निर्धारित प्रतिकर राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं तथा मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)